न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 13/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. जयकिशन
2. ज्ञानप्रकाश पुत्रगण रामदयाल
3. चन्द्राबाई पुत्री रामदयाल
4. ग्यारसीबाई बेवा रामदयाल (मृतक) जातिगण धाकड़ निवासीगण सम्बलपुर तहसील व जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री धैर्य नागर एड़. (अप्रार्थी क्रम 1)
3. श्री देवकीनंदन गालव एड. (अप्रार्थी क्रम 2व 3)

आदेश दिनांक– 20.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के विवादित आराजी ख0नं0 1144 रकबा 0.18 है., 1145 रकबा 0.11 है. कुल किता 2 रकबा 0.29 है. किस्म नहरी 2 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में मूल खसरा नंबर 579 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई की किस्म नहरी 2 कर अवैधानिक रूप से नियमन कर रामदयाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी सम्बलपुर के गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये रामदयाल पुत्र भंवरलाल को किया गया नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ... भूमि के आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये हैं।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004

अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थिति दी परन्तु जवाब संयुक्त रूप से इस आशय का पेश किया कि रेफरेन्स विधि अनुकूल नहीं है। जिन आवंटन को निरस्त फरमाने हेतु रेफरेन्स पेश किया गया है उन आदेशों की ना तो रेफरेन्स के साथ प्रतियां संलग्न की है ना ही रेफरेन्स में उनका वर्णन किया है। आवंटी कौन था, किस आवंटी ने भूमि का विक्रय/हस्तांतरण किया उनको भी पक्षकार नहीं बनाया है वर्तमान खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। आवंटन प्रक्रिया में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर ही आवंटन व नियमन होते हैं और तहसीलदार द्वारा भूमि को आवंटन योग्य होने पर ही आवंटन हेतु उद्घोषित किया जाता है ऐसी सूरत में तहसीलदार को उसे चुनौती देने का अधिकार नही है। जिस भूमि की किस्म तलाई बताई जा रही है वहां सैकड़ों वर्ष से तलाई नहीं है और भूमि पूर्ण काश्त योग्य है। अतः रेफरेन्स कार्यवाही खारिज फरमावें।

3— उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वंय भी अनुपस्थित रहने पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

5— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम फतेहपुर की आराजी सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015—24 में साबिक खसरा नंबर 579 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई का नियमन किया जाकर रामदयाल पुत्र भंवरलाल के गैरखातेदारी में किस्म नहरी बारानी सोयम दर्ज की गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो परिवर्तन तथा नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 1144 रकबा 0.18 है., 1145 रकबा 0.11 है. कुल किता 2 रकबा 0.29 है. किस्म नहरी 2 बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता को उक्त नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज[illegible]पुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को [illegible]स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय [illegible] आवंटन [illegible] निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.[illegible] दर्ज किया [illegible] आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—[illegible] भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 579 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा का रामदयाल पुत्र भंवरलाल को नियमन किया जाकर मुताबिक सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2038–57 खसरा नंबर 1144 रकबा 0.18 है., 1145 रकबा 0.11 है. कुल किता 2 रकबा 0.29 है. किस्म नहरी 2 रामदयाल पुत्र भंवरलाल के खाते दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार रामदयाल पुत्र भंवरलाल को जिस वक्त भूमि नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो नियमन योग्य भूमि नहीं थी। रामदयाल पुत्र भंवरलाल को उक्त आराजी का नियमन नियम विरूद्ध हुआ है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि रामदयाल पुत्र भंवरलाल को नियमनशुदा आराजी खसरा नम्बर 579 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.18 है., 1145 रकबा 0.11 है. कुल किता 2 रकबा 0.29 है. बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका नियमन रामदयाल पुत्र भंवरलाल को विधि विरूद्ध हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त नियमन को विधि विरूद्ध मानते हुए, नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8– परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.18 है., 1145 रकबा 0.11 है. कुल किता 2 रकबा 0.29 है. किस्म नहरी 2, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 579 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका रामदयाल पुत्र भंवरलाल को गलत रूप से नियमन हुआ है, नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के [illegible] जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित [illegible]।

आदेश आज [illegible] .07.20[illegible] को [illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.01 11:26:25 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)